न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 20/2016 दायरा दिनांक : 04.01.2016

उनवान

श्री बशीर मोहम्मद, आयु 42 साल पुत्र श्री गुलाम मोईनउद्दीन, जाति मुसलमान, (डीलर) ग्राम पोस्ट बडौरा ग्राम पंचायत बडौरा, तहसील अटरू, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बारां जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री असलम भारती अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय दिनांक : 13.12.2019

यह अपील अन्तर्गत कार्यवाही राजस्थान पी डी आर जनमांग वसूली अधिनियम 1952 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बारां के प्रकरण संख्या – 1/2012 निर्णय दिनांक 28.05.2015 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून, विधि न्याय समन्याय एवं पत्रावली पर मौजूद कानूनी मान्यता प्राप्त तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट द्वारा की गई कार्यवाही राजस्थान

जनमांग वसूली अधिनियम 1952 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार करके आदेश पारित किया है कि अप्रार्थी अपीलांट बशीर मोहम्मद डीलर ग्राम पोस्ट बडौरा ग्राम पंचायत बडौरा, तहसील अटरू, जिला बारां से राजस्थान जनमांग अधिनियम के तहत गलत वसूली की जा रही हे । उक्त पोषाहार प्रार्थी अपीलांट को दिया ही नहीं गया । अतः उसकी वसूली का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है । प्रस्तुत प्रकरण भी जनमांग अधिनियम के अन्तर्गत पोषणीन नहीं है, ना कोई धारा 4 (ए) का नोटिस दिया गया और न जनमांग अधिनियम के अनुसार सुनवायी हुई है । उक्त गेहूं जो कि पोषाहार का था डीलर को परिवहनकर्ता हेण्डलिंग एजेन्ट तारेन्द्र सिंह होरा द्वारा दिया ही नहीं गया, तारेन्द्र सिंह होरा के विरूद्ध तहसील अटरू पंचायत समिति अटरू के पोषाहार की बकाया वसूली की जा रही है तथा उक्त गेहू का गबन माना जाकर तारेन्द्र सिंह होरा के विरूद्ध मुकदमा सन् 2000 में दर्ज है, जिसमें तारेन्द्र सिंह होरा की गिरफतारी हो चुकी है तथा वसूली की कार्यवाही हो रही है । इस प्रकार एक और स्पष्टतया यह माना गया है कि हेण्डलिंग एजेन्ट ने पोषाहाकर गेहूं का वितरण ही नहीं किया तो उसकी वसूली प्रार्थी अपीलांट से किया जाना किसी प्रकार से न्यायोचित नहीं है । उक्त प्रकरण की न तो कोई नियमानुसार सुनवाई हुई और ना ही प्रार्थी अपीलांट को सुनवायी का अवसर दिया गया । जनमांग अधिनियम के अन्तर्गत इस प्रकार की वसूली भी सर्वथा अवैधानिक है । जनमांग प्रकरण का यह प्रकरण नहीं ह ैना उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कोई कार्यवाही ही गई है और ना ही सुनवायी हुई है । अतः आदेश अधीनस्थ न्यायालय स्वतः ही प्रथम दृष्टया प्रभावहीन है । केवल आडिट के आधार पर यह मुकदमा अपीलांट के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है जो किसी प्रकार से न्यायोचित नहीं है और आडिट के आधार पर किसी रकम की वसूली नहीं की जा सकती है । इस सम्बन्ध में राज्य सरकार व राजस्थान उच्च न्यायालय का स्पष्ट निर्देश है कथित आडिट की न तो कोई प्रति अपीलांट को उपलब्ध करवायी गई है और ना ही कोई जवाब लिया गया, ना ही सुनवायी की गई है । रेस्पोडेंट ने अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए यह प्रकरण पेश किया था जो किसी प्रकार न्यायोचित नहीं है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कीजाकर अधीनस्थ न्यायालय का निण।य दिनांक 28.05.2015 निरस्त किया जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 18.09.2015 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को पूर्ण सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया है । अतः हम प्रकरण को रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.05.2015 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सभी पक्षकारों को उचित सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.02.2020 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 13.12.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा